



भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण  
INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

**Title:**प्रेस विज्ञप्ति

**Reference No.:**---

**Date:**15/12/2008

रहेजा क्यूबीई जनरल इन्शुरेन्स कंपनी लि.

रहेजा क्यूबीई जनरल इन्शुरेन्स कंपनी लि. एक संयुक्त उद्यम सामान्य बीमा कंपनी, प्रिज्म सीमेंट लि.मि.इण्डिया और क्यूबीई होल्डिंग्स (एएपी) पीटीवाई लि.मि. - क्यूबीई ऑस्ट्रेलिया की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, द्वारा प्रवर्तित, प्राधिकरण के पास बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 3 के अन्तर्गत एक सामान्य बीमा कंपनी के रूप में पंजीकृत है। पंजीकरण प्रमाण-पत्र (प्रपत्र आईआरडीए/आर 3) प्राधिकरण द्वारा 12.12.08 को जारी किया गया। इस पंजीकरण के साथ प्राधिकरण के पास पंजीकृत सामान्य बीमाकर्ताओं की कुल संख्या 21 हो गई है।

ह/-

(सी.आर.मुरलीधरन)  
सदस्य